

provided that the non-resident interest in such companies does not exceed 74 per cent of their total equity share capital and that such a company has been granted Industrial licence after February, 1970 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for carrying on such activities.

The companies so exempted are required to file a declaration with the Reserve Bank in the prescribed form before 24th February, 1975. The names of companies which are covered by the exemption would, therefore, be known only after the necessary declarations are received and scrutinized in the Reserve Bank of India.

**Impact of Arrest of Smugglers under M.I.S.A.**

468. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how far the operation of Maintenance of Internal Security Act against the alleged smugglers has resulted in saving of foreign exchange from such countries from which the smuggled goods originated or were transhipped all these years;

(b) how far the remittances from such countries in the form of legal tender or transfer through Banks or otherwise have increased;

(c) the estimated amount of such loss to India in the last few years; and

(d) whether there is any other development in this connection?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE):** (a) To the extent, the operation of MISA Ordinance has broken the Indian links of smugglers' gangs and restrained their activities, it has reduced the consumption of foreign exchange for smuggling. The savings effected in this way, however, cannot be accurately estimated.

(b) Remittances through proper banking channels have shown a rise.

(c) It is not possible to quantify the loss of foreign exchange in this manner. However, the Kaul Committee in their report published in 1971, had estimated the outgo of foreign exchange for various purposes, including smuggling to be around Rs. 240 crores annually.

(d) No, Sir.

**सामान्य पर अस्वास्थ्य प्रतिबन्धों का प्रभाव**

469. श्री नारायण राव सिग्गिया :  
श्री हुकूम चन्द कच्छवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जुलाई में जारी किये गये कंपनी (सामान्य पर अस्वास्थ्य प्रतिबन्ध) अध्यादेश का सामान्य प्रतिकारियों तथा कंपनियों के लिए ग्राम जनता में धनराशि एकत्र करने पर आज तक क्या प्रभाव पड़ा है, और

(ख) सामान्य पर प्रतिबन्ध लगा कर बचाई गई धनराशि का अब तक किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० नुचल्लुम्बन) : (क) और (ख) : कंपनी (सामान्य पर अस्वास्थ्य प्रतिबन्ध) अध्यादेश 6 जुलाई, 1974 को जारी किया गया था और उसके द्वारा दो बड़े के लिए यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि

(क) कंपनी के सामान्य क्षेत्रों पर कर लगने के बाद निबल लाभ के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक था

(ख) कंपनी के सामान्य क्षेत्रों के अधिक मूल्य पर बिके जाने वाले

12 प्रतिशत ल मांस की या उसके तरजीह शेयरों पर दिए जाने वाले लाभों की रकम ;

इनमें जो भी कम हो ;

उमसे अधिक लाभों की प्रदायगी नहीं की जायगी। तब से शेयरों की कीमतों में बिराबट घाटी है; किन्तु ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि इस कारण जनता से नयी पूंजी जुटाने में भड़कन घा रही है। लाभों पर प्रतिबन्ध लगाने से कंपनियों को जो पूंजी मिल जाएगी वह उन्हें उनके प्राथमिकीकरण, विस्तार और विविध वस्तुएं उत्पादित करने के कार्यक्रमों में लगाने के लिए उपलब्ध होगी।

अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि पर दिया गया ब्याज

\*470. श्री भारत सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, डाक तथा तार विभाग द्वारा अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी राशि एकल की गई; और

(ख) इन जमा राशियों पर डाक तथा तार विभाग द्वारा कम से कम किस दर से ब्याज दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुनीता रोहतगी) :

(क)	वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1971-72	227.30	करोड़ रुपये
1972-73	354.90	" "
1973-74	450.29	" "

(ख) ब्याज की चालू दरें नीचे दी गई हैं :—

1. डाक घर बचत बैंक	5 प्रतिशत वार्षिक
2. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (दूसरा निर्गम)	6 " "
3. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (तीसरा निर्गम)	6 " "
4. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा निर्गम)	10.25 " "
5. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (पांचवां निर्गम)	10.25 प्रतिशत (चक्रवृद्धि) अथवा 14 प्रतिशत साधारण
6. 10-वर्षीय सार्वजनिक संघी जमा खाता	6.25 प्रतिशत
7. 15-वर्षीय सर्वसाधारण अभिव्य निधि खाता	7 प्रतिशत
8. डाक घर सार्वजनिक जमा :	
(क) 1 वर्षीय खाता	8 प्रतिशत वार्षिक
(ख) 2 " "	8½ " "
(ग) 3 " "	9 " "
(घ) 5 " "	10 " "
9. डाकघर 5 वर्षीय धारणी जमा खाता	9½ प्रतिशत (चक्रवृद्धि)

\*शेडिक्स बैंक खातों से वित्त खाते और जनता जमा-खाते के ब्याज की दर क्रमशः 3½ प्रतिशत वार्षिक और 3 प्रतिशत वार्षिक है।